भारत में ई-फार्मेसी

फरवरी 2023 में [स्वास्थ्य मंत्रालय] ने कम-से-कम **20 कंपनियों** को **ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री करने** के लिये **कारण बताओ नोटिस** (Show Cause Notices) जारी किया, जिनमें **टाटा-1एमजी** (Tata-1mg), **फ्लिपकार्ट** (Flipkart), **अपोलो** (Apollo), **फार्म-ईज़ी** (PharmEasy), **अमेज़न** (Amazon) और **रिलायंस नेटमेड्स** (Reliance Netmeds) शामिल हैं।

भारत में ई-फार्मेसी की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **परिचय:**
  - भारत में **ई-फार्मेसी** का विकास हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण रहा है और **2021-2027 के दौरान 21.28% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर** के सुदृढ़ विकास के साथ बढ़ने की संभावना है।
  - इस वृद्धि के मुख्य कारकों में **इंटरनेट एवं स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ**, **स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत** तथा **सुविधा और पहुँच** की बढ़ती मांग शामिल हैं।
- **ई-फार्मेसी का विकास:**
  - **कोविड-19** के दौरान दवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की आवश्यकता महसूस की गई थी। लॉकडाउन के दौरान **लगभग 8.8 मिलियन परिवारों** ने होम डिलीवरी सेवाओं का उपयोग किया।
    - **ई-फार्मेसी खुद को डोरस्टेप डिलीवरी का सूत्रधार बताती है** और वेंडिंग दवाओं के लिये खुदरा केमिस्ट्स के साथ ताल-मेल का दावा करती है।
- **चिंता:**
  - **दवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव:**
    - **लाइसेंस के बिना ऑनलाइन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दवाओं, स्टॉक की बिक्री या वितरण की पेशकश का दवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है** और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
    - बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाओं **के अंधाधुंध उपयोग से दवाओं के दुरुपयोग** की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - **कोई वैधानिक समर्थन नहीं:**
    - **औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940** भारत में औषधियों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है।
    - हालाँकि **औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940** अथवा **औषधि अधिनियम, 1948** के तहत **"ई-फार्मेसी"** की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं प्रदान की गई है।
- **ई-फार्मेसी का विनियमन:**
  - **मसौदा ई-फार्मेसी नियम वर्ष 2018** में **स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया थे।**
    - **मुंबई, मद्रास, दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय सहित कई न्यायालयी** आदेशों में ई-फार्मेसी को विनियमित करने का आह्वान किया गया है।
  - जून 2022 में जारी 172वीं **संसदीय स्थायी समिति** की **रिपोर्ट** ने ई-फार्मेसी नियमों को अधिसूचित नहीं किये जाने के विषय में चिंता जताई।

निष्कर्ष:

एक समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु **ई-फार्मेसी व्यवसायों और ऑफलाइन फार्मासिस्टों के हितों को लेकर संतुलन स्थापित** किया जाना चाहिये। हाइब्रिडाइज़्ड इकोसिस्टम में सभी की निगाहें स्वास्थ्य मंत्रालय पर हैं, **जिसे ड्रग स्पेस यानी दवा क्षेत्र में ई-कॉमर्स के नए तरीके को प्रभावी ढंग से विनियमित करना होगा।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/e-pharmacy-in-india